VINOBA BHAVE UNIVERSITY
HAZARIBAG – 825 301
Post Box No. – 31
Phone Nos. V.C- 264279 (O), 262342 (R), P.V.C- 264724 (O), 262301 (R), Registrar-270982 (O), 267272 (R)
C.E –263330 (O), 262387 (R), F.O: 270983 (O)
FAX-06546-267878, 270982 (O), 264066 (R)

Ref. No. VBU./ESSTT/3756/15 Date 13.10.2015

सेवा में,

निदेशक,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
नेपाल हाऊस, झारखण्ड सरकार,
रॉची।

विषयः– **राजीव गाँधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय धनबाद को सत्र 2015–17 (द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम एन0सी0टी0ई0 नियमावली 2014 के अंतर्गत) के लिए नवसंबंधन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 10.10.2015 को नवशिक्षण एवं संबंधन समिति की आहूत बैठक में रखा गया राजीव गाँधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय धनबाद के निरिक्षण प्रतिवेदन में की गई अनुसंशा एवं दर्शाये गये शर्तों की पूर्ति के आलोक में उक्त महविद्यालय को सत्र 2015–17 (Fresh Affiliation, NCTE नियमावली, 2014 के आलोक में) की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई एवं अभिषद द्वारा उक्त सभी निर्णयों के घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।

अतः उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेगें।

विश्वासभाजन
ह0/–
कुलसचिव

अनुलग्नकः–
1. न्यायालय के आदेश की प्रति।
2. दिनांक 10.10.2015 को संबंधन समिति की छायप्रति।
3. निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति।
4. संबंधित महाविद्यालय की संचिका संत्यापित दस्तावेजों के साथ।

प्रतिलिपिः प्राचार्य/सचिव संबंधित महाविद्यालय

13/10/15
कुलसचिव

P.N. Ram
13/10/15

पत्रांक-5/ वि01-79/2014....1282

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

प्रेषक,

डॉ0 धीरेन्द्र नाथ ओझा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।
विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू।
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

राँची, दिनांक 29/06/2015

विषयः- **NCTE Regulation, 2014 के परिपेक्ष्य में 31.05.2015 तक NCTE से Recognition प्राप्त बी0 एड0 महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए नवसंबंधन प्रदान कराने के संबंध में।**

प्रसंग :- **सदस्य सचिव, NCTE के पत्रांक- F.63-11/2012/NCTE/Legal दिनांक 21.05.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि SLP (C) 4247-4247/2009 के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नये रेगुलेशन की अधिसूचना नवम्बर 2014 तक जारी करने तथा लंबित आवेदनों को 31.05.2015 तक Recognition देने का आदेश के आलोक में सदस्य सचिव, NCTE के पत्रांक- F.63-11/2012/NCTE/Legal दिनांक 21.05.2015 के द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व के वर्षो पुराने NCTE Regulation, 2009 के तहत NCTE द्वारा संबंद्धता का निर्गत आदेश की अंतिम तिथि 3 मार्च तथा संबंद्धता की आदेश संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत करने की अंतिम तिथि 10 मई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नई रेगुलेशन, 2014 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 से Recognition का आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि 31.05.2015 है। NCTE द्वारा उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार भी 31.05.2015 तक Recognition प्राप्त शिक्षण संस्थानों को नवसंबंधन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्ताव समर्पित करने, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त नवसंबंधन आदेश निर्गत करने हेतु समय सीमा का निर्धारण तदनुरूप कर सकते है।

NCTE के उक्त पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने 31.05.2015 तक NCTE से Recognition प्राप्त बी0 एड0 महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए नवसंबंधन

प्रदान कराने के लिए आवेदन करने, विश्वविद्यालय द्वारा जाँचोपरान्त प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त नवसंबंधन हेतु विश्वविद्यालय को आदेश निर्गत करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा आदेश निर्गमन की समय सीमा निम्नवत् निर्धारित की गयी है –

Sl. No	Particulars	As per NCTE Letter No. F.63-11/2012/NCTE/ Legal dt. 21.05.15
1	Last date for submitting proposal for affiliation	By 10th July 2015
2	Forwarding of proposal by the University to the State Government/ UT Administration after inspection by expert team	By 20th July 2015
3	Comments to be submitted by the State Government /UT Administration, if any	By 23rd July 2015
4	Approval by State Government	By 4th August 2015
5	Final date for issuance/grant of affiliation for the relevant academic year	By 6th August 2015

अनुरोध है कि उक्त निधारित समय सीमा अनुसार दिनांक 31.05.2015 तक NCTE से Recognition प्राप्त बी0 एड0 महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015–17 के लिए नवसंबंधन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के जाँचोपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव दिनांक 20.07.2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 20.07.2015 के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनु॰ - NCTE ~~का~~ पत्रांक F.63-11/2012
दिनांक - 21.5.2015

विश्वासभाजन,

(signature) 29.6.15

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक : 1282 राँची, दिनांक: 29/06/2015

प्रतिलिपिः सदस्य सचिव, NCTE, नई दिल्ली को उनके पत्रांक– F.63-11/2012/NCTE/Legal दिनांक 21.05.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 29.6.15

निदेशक, उच्च शिक्षा।

पत्रांक : 5/स1-80/2015 2344

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री के0पी0 सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक 10.12.2015

विषयः दिनांक 31.05.2015 तक एन0सी0टी0ई0 से Recognition प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सत्र 2015-17 के लिए संबंधन हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि NCTE के पत्रांक F.63-11/2011/NCTE/Legal दिनांक 21.05.2015 के आलोक में आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए संबंधन पर कॉलम-7 के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्त्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान की जाती है-

क्र0	याचिका संख्या एवं वर्ष	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव प्रेषण संबधी विश्वविद्यालय का पत्रांक/दिनांक	उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि	Recognition प्रदान करने संबधी एन0सी0टी0ई0 का पत्रांक/दिनांक	सरकार का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1.	WP(C) No. 3328/15	Thathagat Teachers Training College, Burwada, Dhanbad	3757/dt. 13.10.15	15.10.15	32680/dt. 31.05.2015 (From Session 2015-16)	सत्र 2015-17 हेतु (Fresh Affiliation NCTE के पत्रांक 63-11/2012/ NCTE/Legal दिनांक 21.05.15 एवं विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2015-17 हेतु संबंधन की स्वीकृति।
2.	WP(C) No. 3329/15	Ram Krishna Vivekanand College of Education, Bagodar, Giridih	3758/dt. 13.10.15	15.10.15	32754/dt. 31.05.2015 (From Session 2015-16)	सत्र 2015-17 हेतु (Fresh Affiliation, NCTE के पत्रांक 63-11/2012/ NCTE/Legal दिनांक 21.05.15 एवं विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2015-17 हेतु संबंधन की स्वीकृति।
3.	WP(C) No. 3335/15	Rajeev Gandhi Memorial Teachers Training College, Digwadih, Dhanbad	3756/dt. 13.10.15	15.10.15	32750/dt. 31.05.2015 (From Session 2015-16)	सत्र 2015-17 हेतु (Fresh Affiliation, NCTE के पत्रांक 63-11/2012/ NCTE/Legal दिनांक 21.05.15 एवं विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2015-17 हेतु संबंधन की स्वीकृति।

2. शर्त्तें :-

(क) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर के जिस आदेश के द्वारा संबंधित संस्था को प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है, उनमें निहित सभी शर्त्तों को महाविद्यालय सतत् पूरा करता रहेगा।

(ख) एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित 200 शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी सम्मिलित है, का पालन महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा और उसके उपरांत ही विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देगा।

(ग) छात्रों के नामांकन में एन0सी0टी0ई0, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए। विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि विभागीय संकल्प 1382 दिनांक 20.05.04 एवं इस संदर्भ में निर्गत अनुवर्ती परिपत्रों द्वारा नामांकन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया को महाविद्यालय पूरा करता है तथा नामांकन में आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करता है।

(घ) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि महाविद्यालय को एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रस्वीकृति एवं राज्य सरकार के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, संबंधन हेतु अधिसूचना निर्गत करेगा।

(ङ) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित कर कि कोई भी बी0एड0 कॉलेज यदि निर्धारित योग्यताओं व मानकों का पूर्ण पालन नहीं कर रहा हो तो उसकी मान्यता रद्द करने हेतु एन0सी0टी0ई0 से सीधे अनुरोध किया जाए।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(के0पी0 सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 5/वि1–80/2015/2344/राँची, दिनांक 10.12.2015

प्रतिलिपि :– महाधिवक्ता, झारखण्ड सरकार, रांची/संबंधित सरकारी अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(के0पी0 सिंह)
सरकार के उप सचिव।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक: वि0भा0वि0/स्था0/4386/2015 दिनांक 21.12.2015

प्रतिलिपि:

1. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/सचिव के सूचनार्थ।
2. सरकार के उपसचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।
3. परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
4. सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
5. प्र0 स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
6. निजी सहायक कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव को सूचनार्थ।

कुलसचिव 12/12/15

P.N. Ram
21/12/15